स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 94, दिनांक 27–03–2025

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल0डी0ए0) के प्लाटों के फर्जी कागजात व मालिक बनाकर उन्हें फर्जी तरीके से लोगों को बेचने वाले गैंग के 06 सदस्य जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 27–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल0डी0ए0) के प्लाटों के फर्जी कागजात व मालिक बनाकर फर्जी तरीके से लोगों को बेचने वाले गैंग के 06 सदस्यों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अचलेश्वर गुप्ता उर्फ बबलू गप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी 1/950 सेक्टर–1, गोमतीनगर, लखनऊ उम्र लगभग 52 वर्ष।

2– राम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह निवासी हाल पता – म0 नं0 30 देव रेजीडेन्सी कालोनी, मल्हौर, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ मूल पता ग्राम बरांवा, पोस्ट हरकपुर, थाना रूदौली, जनपद अयोध्या उम्र लगभग 58 वर्ष।

3– सचिन सिंह उर्फ अमर सिंह राठौर पुत्र सतीश सिंह निवासी हाल पता 1001 आदित्य पैराडाइज डायमण्ड, सुशान्त गोल्फ सिटी, अंसल लखनऊ मूल पता ग्राम मुनियांवा खुर्द, पो0 शंकरपुर, थाना परशुरामपुर, जनपद बस्ती उम्र लगभग 26 वर्ष।

4– मुकेश मौर्या उर्फ रंगी पुत्र स्व0 राम करन मौर्या निवासी इ–3/360 विनय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ उम्र लगभग 36 वर्ष।

5– राहुल सिंह पुत्र स्व0 भारद्वाज सिंह निवासी 5/463 विरामखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ मूल पता–ग्राम सलारपुर, थाना रोहनाई, जनपद अयोध्या उम्र लगभग 35 वर्ष।

6– धनन्जय सिंह पुत्र श्री राम सहोदर सिंह निवासी 6/237 विपुलखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ उम्र लगभग 34 वर्ष।

बरामदगी–

1– 23 अदद रजिस्ट्री के कागजात
2– 02 बैंक पास बुक
3– 06 अदद चेक बुक
4– 04 अदद चेक।
5– 09 अदद मोबाइल।
6– 12,710/– रूपये।
7– 02 अदद कार क्रेटा गाडी नम्बर UP32JP0300, इनोवा गाडी नं0 UP32NB8589
8– 01 अदद सीपीयू।
9– 01 अदद मानीटर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

दयाल पैराडाईज चौराहे के पास, थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ। दिनांक 27–03–2025, समय 21.07 बजे।

आवेदक सर्वेश कुमार गौतम पुत्र सिधारी राम, निवासी फ्लैट सं0 201, मल्टी सिल्वर निखिल नेसल्स, हौशंगाबाद रोड, जाट खेडी, भोपाल मध्य प्रदेश के प्रार्थना पत्र दिनांकित 21–01–25 के क्रम में एसटीएफ द्वारा जॉच की जा रही थी। जांच के क्रम में अभिसूचना संकलन व अन्य जानकारी जुटाने पर पाया गया कि जनपद लखनऊ में एक गिरोह सक्रिय है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई वर्षों से खाली पडे प्लाटों को चिन्हित कर उसके बारे में जानकारी निकालकर उसका नकली कागजात तैयार करके फर्जी तरीके से लोगों को बेच दिया जाता है।

श्री दीपक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ के पर्यवेक्षण में एक टीम निरीक्षक श्री हेमन्त भूषण सिंह, उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, उ0नि0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 विनोद यादव, मु0आ0 सरताज, मु0आ0 पवन सिंह बिसेन, मु0आ0 आलोक रंजन, मु0आ0 सुनील यादव, आरक्षी राम सिंह गठित अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। जिसके क्रम में ज्ञात हुआ कि एलडीए के प्लाटों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोगों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने वाले गिरोह का सदस्य अमर सिंह उर्फ सचिन सिंह अपने कुछ साथियों से मिलने दयाल पैराडाईज चौराहे के पास आने वाला है। जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर गिरोह के 06 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अचलेश्वर गुप्ता से विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि उसका एक गिरोह है, इस गिरोह द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई वर्षों से खाली पडे प्लाटों को चिन्हित कर उसके बारे में जानकारी निकालकर उसका कूटरचित कागजात तैयार करके फर्जी तरीके से लोगों को बेच दिया जाता है। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ बाबूओं से मिलकर काफी दिनों से खाली प्लाटों के बारे में जानकारी करके उसके असली मालिक का पता करता है। उन खाली प्लाटों के असली मालिकों के नाम से फर्जी आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र तैयार कराकर किसी अन्य व्यक्ति को उस प्लाट की रजिस्ट्री करवा देते हैं। अब तक लगभग 70–80 प्लाटों को बेचा गया है। उसके साथ इस काम में राम बहादुर सिंह, सचिन सिंह, मुकेश मौर्या, राहुल सिंह साथ देते हैं। राम बहादुर सिंह प्लाट के फर्जी कागज तैयार करता हैं। सचिन सिंह प्लाट को खरीदने वाली पार्टी लाता है। मुकेश मौर्या प्लाट मालिक का आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागज तैयार करता है। राहुल सिंह गवाह तैयार करता है। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ के कई अन्य भूमाफियाओं को भी फर्जी रजिस्ट्री के कागजात बना कर दिया हैं, जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों से पूछताछ पर एलडीए के जिन प्लाटों की रजिस्ट्री हेतु फर्जी कागजात तैयार किये गये है उनकी सूची व शेष के बारे में जानकारी की जा रही है जहाँ इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है–

क्र0सं0	प्लाट सं0	प्लाट का स्थान
1	3/513	विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना
2	3/508	विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना
3	2/230बी	विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना
4	3/138	विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना
5	4/67	विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना
6	2/63	विशेष खण्ड, गोमतीनगर योजना
7	2/73	विशेष खण्ड, गोमतीनगर योजना
8	2/88	विशेष खण्ड, गोमतीनगर योजना

9	2／124	विभूतिखण्ड, गोमतीनगर योजना
10	5／184	विनीतखण्ड, गोमतीनगर योजना
11	3／393	विराटखण्ड गोमतीनगर योजना
12	3／270बी	विराटखण्ड गोमतीनगर योजना
13	3／270सी	विराटखण्ड गोमतीनगर योजना
14	1／161	विनीतखण्ड गोमतीनगर योजना
15	5／145	विनीतखण्ड, गोमतीनगर योजना
16	1148	सेक्टर जी, कानपुर रोड योजना
17	313	सेक्टर आई, कानपुर रोड योजना
18	316	सेक्टर एच, जानकीपुरम योजना
19	319	सेक्टर एच जानकीपुरम योजना
20	2／97	विराजखण्ड, गोमतीनगर योजना
21	2／89	विराजखण्ड, गोमतीनगर योजना
22	2／47	विराजखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
23	2／49	विराजखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
24	2／74	विराजखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
25	5／69	विनीतखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
26	5／174	विनीतखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
27	4／584	विवेकखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
28	1／20	विवेकखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
29	2／314	विजयखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
30	2／150	विराजखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
31	सीपी—148	विराजखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ
32	टीसी—1124	ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ
33	3／560	वास्तुखण्ड, गोमतीनगर
34	3／583	वास्तुखण्ड, गोमतीनगर
35	3／645	वास्तुखण्ड, गोमतीनगर
36	3／663	वास्तुखण्ड, गोमतीनगर
37	1／266	विनम्रखण्ड, गोमतीनगर
38	1／275	विनम्रखण्ड, गोमतीनगर
39	3／165	विभवखण्ड, गोमतीनगर
40	3／88	विभवखण्ड, गोमतीनगर
41	1／124	विजयन्तखण्ड, गोमतीनगर
42	1／125	विजयखण्ड, गोमतीनगर
43	1／126	विजयन्तखण्ड, गोमतीनगर
44	1／272	सेक्टर जी, सीतापुर रोड
45	2／51—बी	विराजखण्ड, गोमतीनगर

अभियुक्तों का ज्ञात आपराधिक इतिहास–

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	15/2025	419/420/467/468/471/504/506	गोमतीनगर	लखनऊ
2	510/2021	13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम	विभुतिखंड	लखनऊ
3	744/2019	506/352/406/420/417	गोमतीनगर	लखनऊ
4	818/2022	419/420/467/468/471/120B	गोमतीनगर	लखनऊ
5	488/2020	271/269/188	गोमतीनगर	लखनऊ
6	1184/2019	406	चिनहट	लखनऊ
7	671/2018	420/467/468/471	गोमतीनगर	लखनऊ
8	228/2018	174-A	विभुतिखंड	लखनऊ
9	224/2024	504/506	गोमतीनगर	लखनऊ
10	269/2021	386/507/504	वजीरगंज	लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।